राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांकः 29 SEP 2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022–23 संख्या 170(vii) के द्वारा खनन पट्टेधारियों, क्वारी लाईसेंसधारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों को दिनांक 31.03.2021 तक के बकाया प्रकरणों हेतु एमनेस्टी योजना के माध्यम से राहत दिये जाने की घोषणा की गई। साथ ही इस योजना में प्रथम बार अवैध खनन, परिवहन एवं निर्गमन के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जाकर '**विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना, 2022**' दिनांक 29.08.2022 से छः माह तक प्रभावी, जारी की गई है।

सक्षम स्तर पर उपरोक्त योजना के अनुमोदन के समय अवैध खनन की स्थिति को उपयुक्त नहीं माना गया है एवं अपेक्षा की गई है कि **भविष्य में इस तरह की स्थिति नहीं बने यह सुनिश्चित भी करें**। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि खनन पट्टेधारियों, क्वारी लाईसेंसधारकों एवं अल्पावधि अनुमति पत्रधारकों के क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जावे एवं पूर्ण प्रभावी कदम उठाये जावे कि अनुमत क्षेत्रों से खनन योजना/स्कीम में अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में खनन/निर्गमन नहीं किया जावे। यदि इस संबंध में किसी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही/उपेक्षा की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(नीतू बारूपाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, खान, पेट्रोलियम एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. DMGOMS प्रकोष्ठ, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर को परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव